

अनुलग्नक—1.1

31 मार्च 2018 को राज्य ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज से संबंधित पूँजी एवं बकाया ऋण की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक  
(संदर्भित कंडिका 1.4 एवं 1.8)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2017–18 की समाप्ति पर पूँजी <sup>§</sup>				वर्ष 2017–18 की समाप्ति पर बकाया दीघावधि ऋण			
				छत्तीसगढ़ शासन	केन्द्र सरकार	अन्य <sup>#</sup>	कुल	छत्तीसगढ़ शासन	केन्द्र सरकार	अन्य <sup>#</sup>	कुल
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
<b>अ. उत्पादन</b>											
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल)	ऊर्जा	19.05.2003	—	—	2,814.30	2,814.30	50.33	—	8,199.30	8,249.63
	योग			—	—	2,814.30	2,814.30	50.33	—	8,199.30	8,249.63
<b>ब. पारेषण</b>											
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीटीसीएल)	ऊर्जा	19.05.2003	—	—	904.71	904.71	15.69	—	1,086.03	1,101.72
	योग			—	—	904.71	904.71	15.69	—	1,086.03	1,101.72
<b>स. वितरण</b>											
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल)	ऊर्जा	19.05.2003	—	—	2,263.10	2,263.10	86.42	—	4,074.14	4,160.56
	योग			—	—	2,263.10	2,263.10	86.42	—	4,074.14	4,160.56
<b>द. अन्य</b>											
4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होलिडंग कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीएचसीएल)	ऊर्जा	31.12.2008	609.73 <sup>€</sup>	—	—	609.73	—	—	—	—
5	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीटीआरसीएल)	ऊर्जा	30.12.2008	—	—	0.05	0.05	—	—	—	—
	योग			609.73	—	0.05	609.78	—	—	—	—
	महायोग			609.73	—	5,982.16	6,591.89	152.44	—	13,359.47	13,511.91

\$ पूँजी में अंश आवेदन की बकाया राशि सम्मिलित है।

# अन्य में वित्तीय संस्थान, बैंक एवं पीएसयूज इत्यादि सम्मिलित हैं।

€ छत्तीसगढ़ शासन ने सीएसपीएचसीएल की पूँजी के रूप में ₹ 6,591.89 करोड़ की पूँजी प्रदाय की थी। जिसमें ₹ 5,982.16 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है जिसे सीएसपीएचसीएल (होलिडंग कम्पनी) द्वारा अपनी सहायक कम्पनियों जैसे सीएसपीजीसीएल (₹ 2,814.30 करोड़), सीएसपीटीसीएल (₹ 904.71 करोड़), सीएसपीडीसीएल (₹ 2,263.10 करोड़) एवं सीएसपीटीआरसीएल (₹ 0.05 करोड़) में निवेश किया था जिसे स. क्र. 1, 2, 3, एवं 5 में दिखाया गया है। इसलिए, सीएसपीएचसीएल में पूँजी के आंकड़ों में ₹ 5,982.16 करोड़ को छोड़कर दिखाया गया है जिसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसकी सहायक कम्पनियों के लिए दिया गया था।

**अनुलग्नक-1.2**

अद्यतन अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगम की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणाम  
(संदर्भित कंडिका 1.8, 1.9 एवं 1.12)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं पीएसयू का नाम	लेखों की अवधि	ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त अंशपूँजी	नियोजित पूँजी <sup>#</sup>	निवल मूल्य <sup>¥</sup>	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>अ. उत्पादन</b>									
1	सीएसपीजीसीएल	2016–17	1,351.76	336.49	6,193.55	2,814.30	10,865.93	1,971.26	–843.04
	योग		1,351.76	336.49	6,193.55	2,814.30	10,865.93	1,971.26	–843.04
<b>ब. पारेषण</b>									
2	सीएसपीटीसीएल	2016–17	295.22	152.06	994.10	904.71	2,329.92	1,221.95	317.24
	योग		295.22	152.06	994.10	904.71	2,329.92	1,221.95	317.24
<b>स. वितरण</b>									
3	सीएसपीडीसीएल	2016–17	–137.58	–421.76	12,835.76	2,263.10	–1,030.90	–3,733.18	–5,996.28
	योग		–137.58	–421.76	12,835.76	2,263.10	–1,030.90	–3,733.18	–5,996.28
<b>द. अन्य</b>									
4	सीएसपीएचसीएल	2016–17	1.45	0.97	1.45	609.73 <sup>£</sup>	651.48	651.48	41.75
5	सीएसपीटीआरसीएल	2016–17	–2.94	–2.94	0.00	0.05	–7.96	–7.96	–8.01
	योग		–1.49	–1.97	1.45	609.78	643.52	643.52	33.74
	महायोग		1,507.91	64.82	20,024.86	6,591.89	12,808.47	103.55	–6,488.34

# नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंशपूँजी + मुक्त संचय और अधिशेष + दीर्घावधि ऋण – संचित हानियाँ – स्थगित राजस्व व्यय।

¥ निवल मूल्य = प्रदत्त अंशपूँजी + मुक्त संचय और अधिशेष – संचित हानियाँ – स्थगित राजस्व व्यय।

£ छत्तीसगढ़ शासन ने सीएसपीएचसीएल की पूँजी के रूप में ₹ 6,591.89 करोड़ की पूँजी प्रदाय की थी। जिसमें ₹ 5,982.16 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है जिसे सीएसपीएचसीएल (होल्डिंग कम्पनी) द्वारा अपनी सहायक कम्पनियों जैसे सीएसपीजीसीएल (₹ 2,814.30 करोड़), सीएसपीटीसीएल (₹ 904.71 करोड़), सीएसपीडीसीएल (₹ 2,263.10 करोड़) एवं सीएसपीटीआरसीएल (₹ 0.05 करोड़) में निवेश किया था जिसे स. क्रं. 1, 2, 3, एवं 5 में दिखाया गया है। इसलिए, सीएसपीएचसीएल में पूँजी के आंकड़ों में ₹ 5,982.16 करोड़ को छोड़कर दिखाया गया है जिसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसकी सहायक कम्पनियों के लिए दिया गया था। इसके लिए, सीएसपीएचसीएल की पूँजी में ₹ 5,982.16 करोड़ की धनराशि शामिल थी जिसमें सीएसपीएचसीएल का निवल मूल्य तथा नियोजित पूँजी एवं प्रदत्त अंशपूँजी की गणना के लिए भी इसको छोड़ा जा चुका है।

**अनुलग्नक—2.1**  
**ऑयल के आधिक्य उपभोग के कारण कम्पनी को हुई हानि दर्शाने वाला विवरण पत्र**  
**(संदर्भित कांडिका 2.9.5)**

इकाई	वर्ष	वास्तविक उत्पादन मिलियन यूनिट में	उत्पादित इकाई किलोवाट घंटा में	वास्तविक ऑयल उपभोग (किलो लीटर में)	वास्तविक ऑयल उपभोग (मिलीलीटर में)	वास्तविक ऑयल उपभोग मिलीलीटर / किलोवाट घंटा में	सीएसईआरसी का मानक मिली लीटर / किलोवाट घंटा में	मानक के अनुसार मान्य ऑयल उपभोग मिलीलीटर में	मानक के अनुसार मान्य ऑयल उपभोग किलो लीटर में	आधिक्य ऑयल उपभोग किलोलीटर में	किलो लीटर के लिए ऑयल की औसत कीमत (₹ में)	आधिक्य ऑयल उपभोग के कारण हानि (₹ में)
इकाई—1	2016—17	294.08	29,40,80,000	3,582.97	3,58,29,70,000	12.18	0.5	14,70,40,000	147.04	3,435.93	35,770	12,29,03,216.10
	2017—18	2,739.96	2,73,99,60,000	2,832.02	2,83,20,20,000	1.03	0.5	1,36,99,80,000	1,369.98	1,462.04	48,031	7,02,23,243.24
	2018—19	2,946.00	2,94,59,60,000	2,379.05	2,37,90,50,000	0.81	0.5	1,47,29,80,000	1,472.98	906.07	48,031	4,35,19,448.17
इकाई—2	2016—17	2,084.66	2,08,46,60,000	5,653.73	5,65,37,30,000	2.71	0.5	1,04,23,30,000	1,042.33	4,611.40	35,770	16,49,49,778.00
	2017—18	2,980.03	2,98,00,26,000	1,867.20	1,86,72,00,000	0.63	0.5	1,49,00,13,000	1,490.01	377.19	48,031	1,81,16,812.89
	2018—19	3,471.31	3,47,13,10,000	2,932.38	2,93,23,80,000	0.84	0.5	1,73,56,55,000	1,735.66	1,196.73	48,031	5,74,80,138.63
<b>कुल</b>		<b>14,516.04</b>	<b>14,51,59,96,000</b>	<b>19,247.35</b>	<b>19,24,73,50,000</b>	<b>1.33</b>	<b>0.5</b>	<b>7,25,79,98,000</b>	<b>7,258.00</b>	<b>11,989.36</b>		<b>47,71,92,637.03</b>
(स्रोत: कम्पनी के अमिलेखों से संकलित आंकड़े)												

**अनुलग्नक-2.2**  
**आधिक्य स्टेशन हीट रेट के कारण कोयले का अधिक उपभोग दर्शाने वाला विवरण पत्र**  
**(संदर्भित कांडिका 2.9.7)**

विवरण	इकाई-1			इकाई-2			कुल
	2016–17	2017–18	2018–19	2016–17	2017–18	2018–19	
सकल उत्पादन (मिलियन यूनिट) (क)	294.10	2,739.90	2,945.96	2,326.20	2,980	3,471.31	
सीएसईआरसी के मानक अनुसार स्टेशन हीट रेट (ख)	2,378	2,378	2,378	2,378	2,378	2,378	
वास्तविक स्टेशन हीट रेट (किलोकैलोरी / केडल्यूएच) (ग)	2,708	2,387	2,360	2,593	2,396	2,346	
कोयले का उपभोग (मीट्रिक टन) (घ)	2,18,997.07	17,79,279.51	19,34,944.59	17,22,670.99	19,45,814.96	22,66,487.64	
कोयले की औसत जीसीवी (किलोकैलोरी / किलोग्राम) (ड)	3,467.13	3,660.65	3,544	3,467.13	3,660.65	3,544	
उत्पादन के लिए कोयले से आवश्यक हीट (किलोकैलोरी लाख में) (च) = (क) × (ख) × 10	69,93,698	6,51,54,822	7,00,54,928.80	5,53,17,036	7,08,64,400	8,25,47,751.80	
सकल उत्पादन के लिए आवश्यक कोयला (मीट्रिक टन) (छ) = (च) / (ड) × 100	2,01,714.33	17,79,870.30	19,76,719.21	15,95,470.49	19,35,842.00	23,29,225.50	
कोयले का आधिक्य उपभोग (मीट्रिक टन) (ज) = (घ) – (छ)	17,282.74	−590.79	−41,774.62	1,27,200.50	9,972.96	−62,737.86	<b>1,54,456.21</b>
कोयले की औसत कीमत (₹ प्रति मीट्रिक टन )	2,462.73	2,112.83	2,234.32	2,462.73	2,112.83	2,234.32	
आधिक्य कोयला उपभोग का मूल्य (₹ करोड़ में)	4.26	0	0	31.33	2.11	0	<b>37.69</b>
(स्रोत: कम्पनी के अभिलेखों से संकलित आंकड़े)							

**अनुलग्नक—2.3**  
**पर्यावरण मंजूरी के शर्तों का गैर—अनुपालन दर्शाने वाला विवरण पत्र**  
**(संदर्भित कंडिका 2.10)**

क्र.सं.	नियम एवं शर्तें	लेखापरीक्षा अवलोकन
1	इस परियोजना से संबंधित किसी भी उपयोगिताओं/सुविधाओं के लिए 508 हेक्टेयर (1,254.76 एकड़) से अधिक की कोई भी भूमि अधिग्रहित नहीं की जायेगी।	कंडिका क्र. 2.6.1 के द्वारा प्रतिवेदन में सम्मिलित।
2	99.89 प्रतिशत दक्षता के साथ उच्च दक्षतायुक्त ईएसपी स्थापित किया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कणों का निष्कासन 100 मिलीग्राम/एनएम <sup>3</sup> से अधिक न हो।	अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया कि जनवरी 2017, फरवरी 2017 और जून 2017 में औसत एसपीएम स्तर निर्धारित स्तर से अधिक हो गया और 51 मिलीग्राम/एनएम <sup>3</sup> तथा 65 मिलीग्राम/एनएम <sup>3</sup> के बीच रहा (मानक <sup>1</sup> से 02 प्रतिशत से 30 प्रतिशत अधिक था)।
3	पाँच से कम साइकिल ऑफ कान्सेन्ट्रेशन (सीओसी) को ग्रहण नहीं किया जायेगा।	लेखापरीक्षा ने पाया कि नमक घटकों के साथ पानी के पुनः परिचालन के कारण सीओसी अधिकतर समय पाँच से कम रहा है जिसके परिणामस्वरूप नया पानी की अतिरिक्त खपत हुई। हालांकि, इसका कोई प्रभाव नहीं रहा क्योंकि पानी का उपयोग प्रतिवर्ष 35 एमसीएम की अनुबंधित मात्रा के भीतर था।
4	निर्धारित मानकों के अनुरूप उपचारित अपशिष्टों को संयंत्र के भीतर पुनः परिचालित और पुनः उपयोग किया जायेगा। परियोजना सीमा से बाहर किसी भी अपशिष्ट को नहीं डाला जायेगा।	लेखापरीक्षा ने पाया कि विद्युत संयंत्र की आवासीय कॉलोनी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) अब तक (मार्च 2019) स्थापित नहीं हुआ है। कम्पनी ने अपनी अनुपालन प्रतिवेदन में इस तथ्य का खुलासा नहीं किया। इसके अलावा, एसटीपी की स्थापना न होने से अनुपचारित घरेलू पानी का निष्कासन चौतरिया नाला के माध्यम से हसदेव नदी में हुआ।
5	फ्लाई ऐश उपयोग पर नोटिफीकेशन एसओ 763(ई) दिनांक 14 सितम्बर 1999 तथा समय—समय पर इसमें संशोधनों के अनुसार 100 प्रतिशत फ्लाई ऐश को सूखा रूप में एकत्र किया जायेगा और इसके पूर्ण उपयोग का लक्ष्य नौ वर्षों के भीतर प्राप्त किया जायेगा।	मार्च 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान, 100 प्रतिशत फ्लाई ऐश उपयोग के एमओईएफ एण्ड सीसी के निर्देशों के विरुद्ध सिर्फ 24.07 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया गया था।
6	निरंतर ध्वनि स्तर 75 डेसीबल तक सीमित होगा और उपकरणों का नियमित रखरखाव किया जाना चाहिए। उच्च ध्वनि क्षेत्रों में काम करने	कंडिका क्र. 2.10.2 के द्वारा प्रतिवेदन में सम्मिलित।

<sup>1</sup> पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (7 दिसम्बर 2015) के अनुसार एसपीएम का स्तर 100 से 50 मिलीग्राम/एनएम<sup>3</sup>

क्र.सं.	नियम एवं शर्तें	लेखापरीक्षा अवलोकन
	वाले लोगों के लिए, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किये जाने चाहिए।	
7	संयंत्र की सीमा के आसपास लगभग 1,500–2,000 पेड़ प्रति हेक्टेयर (2.47 एकड़) वृक्ष घनत्व के साथ कम से कम 174 हेक्टेयर (429.78 एकड़) क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा।	कम्पनी को एमओईएफ एण्ड सीसी और सीईसीबी के शर्तों के अनुपालन में अधिग्रहित क्षेत्र में 3,46,440 संख्या <sup>2</sup> में पौधे लगाने चाहिए थे, किन्तु कम्पनी ने 158 हेक्टेयर (390.26 एकड़) क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए सिर्फ 2,36,543 पौधे लगाये। परिणामस्वरूप, 73 हेक्टेयर (180.31 एकड़) क्षेत्र सहित 1,09,897 पौधों की कमी के अलावा पर्यावरण मानदण्डों का उल्लंघन हुआ।
8	वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी संयंत्र की सीमा और उसके आसपास की जायेगी और अभिलेख रखा जाएगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से निगरानी स्टेशनों का स्थान और निगरानी की आवृत्ति तय किया जाएगा। इस मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत की जायेगी।	लेखापरीक्षा ने पाया कि मात्र दो सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी गृहों (सीएएक्यूएमएस) की स्थापना पूर्व और परिवेशी दिशाओं में की गयी थी किन्तु, सीईसीबी को प्रस्तुत इसके अनुपालन प्रतिवेदन में वरिष्ठ रसायनज्ञ ने प्रतिवेदित किया कि “विद्युत गृह भवन में दैनिक आधार पर स्टैक के सभी चारों दिशाओं में परिवेशी वायु गुणवत्ता स्तरों की निगरानी नियमित रूप से की जा रही है। वायु गुणवत्ता की भी निगरानी की जा रही है।” इस प्रकार के मिथ्या प्रतिवेदन के लिए सीईसीबी द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी क्योंकि उन्होंने न तो तथ्यों के समर्थन के सहायक दस्तावेजों की जाँच की और न ही भौतिक रूप से सभी चारों दिशाओं में सीएएक्यूएमएस का निरीक्षण किया।
9	कोयले के भण्डारण और हैंडलिंग क्षेत्र और संयंत्र के अन्य संबंधित कमजोर क्षेत्रों में कोयला परिवहन के दौरान उड़नशील धूल को नियंत्रित करने के लिए पानी छिड़काव यंत्र के साथ धूल निकासी तथा दबाव प्रणाली उपलब्ध करायी जायेगी।	सीएचपी निर्माण से संबंधित देयकों की जाँच से पाया कि धूल निकासी व धूल दबाव प्रणाली कार्य आधी हुई थी। यह भी पाया कि चार धूल निकासी प्रणाली आज तक स्थापित नहीं हुई थी और धूल दबाव प्रणाली भी हस्तचालित साधनों से परिचालित की जा रही थी क्योंकि स्वचालित साधन का निर्माण अभी तक नहीं हुआ था।
10	निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए योग्य कर्मचारियों के साथ एक अलग पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा।	लेखापरीक्षा ने पाया कि पर्यावरण प्रकोष्ठ में किसी भी योग्य व्यक्ति की नियुक्ति अब तक (अप्रैल 2019) नहीं की गई थी जो प्रकोष्ठ जुलाई 2016 में बना था।
11	एमओईएफ का क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल निर्धारित शर्तों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण प्रतिवेदन और	कंडिका क्र. 2.10.3 के द्वारा प्रतिवेदन में सम्मिलित।

<sup>2</sup> 230.96 हेक्टेयर (570.48 एकड़) (699.89 हेक्टेयर (1,728.73 एकड़) का 33 प्रतिशत) × 1,500 (वृक्षों की न्यूनतम संख्या) = 3,46,440

क्र.सं.	नियम एवं शर्तें	लेखापरीक्षा अवलोकन
	पर्यावरण प्रबंधन योजना व अन्य सूचना के साथ समय—समय पर प्रस्तुत सम्पूर्ण प्रपत्रों की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को निगरानी के दौरान उनके उपयोग के लिए अग्रेषित किया जायेगा।	
12	पर्यावरण संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन के लिए एक अलग कोष का आबंटन किया जायेगा।	यह बताने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं मिला कि कम्पनी द्वारा पर्यावरण संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन के लिए कोई अलग कोष आबंटित किया था।
13	तापीय विद्युत संयंत्र के लिए मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 7 दिसम्बर 2015 में निर्धारित मानकों का यथावत अनुपालन किया जायेगा।	दिनांक 7 दिसम्बर 2015 को जारी अधिसूचना के अनुसार, 500 मेगावाट क्षमता वाले तापीय विद्युत संयंत्र के लिए सल्फर डाइआक्साइड (एसओ <sub>2</sub> ) की अनुज्ञेय सीमा 200 मिलीग्राम/एनएम <sup>3</sup> के विरुद्ध जनवरी 2018 से नवम्बर 2018 की अवधि के दौरान सल्फर डाइआक्साइड की सीमा 202.10 मिलीग्राम/एनएम <sup>3</sup> और 246.15 मिलीग्राम/एनएम <sup>3</sup> के बीच थी जैसा कि कंडिका क्रमांक 2.10.1 द्वारा इस पर चर्चा की गयी है।
14	संयंत्र के भवनों में विशेष रूप से छत की उपलब्धता के अनुरूप सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा और इसके कार्यान्वयन की स्थिति को सौर ऊर्जा के वास्तविक उत्पादन सहित अर्द्धवार्षिक निगरानी प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।	कम्पनी ने पर्यावरण मंजूरी की शर्तों के अनुपालन में सौर ऊर्जा तंत्र की स्थापना अब तक (मार्च 2019) नहीं की है। परिणामतः वह ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत के उपयोग को बढ़ावा देने में विफल रहा।
15	कृषि अथवा गैर-कृषि भूमि पर प्रभाव को रोकने के लिए उड़नशील उत्सर्जन को नियंत्रित किया जायेगा। कृषि भूमि/फसल के किसी प्रकार के प्रमाणित नुकसान के प्रकरण में विद्युत संयंत्र के द्वारा आवश्यक मुआवजा दिया जायेगा।	पाइपों से रिसाव के कारण संयंत्र क्षेत्र में बार-बार उड़नशील उत्सर्जन पाया गया। चूंकि पाइपों की बार-बार मरम्मत की जा रही थी, अतः परियोजना में प्रयुक्त पाइपों की घटिया गुणवत्ता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।
16	संयंत्र की सीमा क्षेत्र के हरित क्षेत्र के अतिरिक्त ऐशा पॉन्ड के आसपास भी हरित क्षेत्र विकसित किये जायेंगे।	कम्पनी ने कुल 699.89 हेक्टेयर (1,728.73 एकड़) भूमि (वनभूमि क्षतिपूर्ति के लिए अधिग्रहित की गयी भूमि को छोड़कर) अधिग्रहित की तदानुसार, 230.96 हेक्टेयर <sup>3</sup> भूमि में वृक्षारोपण किया जाना था। कम्पनी को अधिग्रहित क्षेत्र में 3,46,440 पौधे <sup>4</sup> लगाने चाहिए थे इसके विपरीत, कम्पनी द्वारा 158 हेक्टेयर (390.26 एकड़) क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए सिर्फ 2,36,543 पौधे लगाये थे

<sup>3</sup> 699.89 हेक्टेयर (1,728.73 एकड़)× 33 प्रतिशत = 230.96 हेक्टेयर (570.48 एकड़)

<sup>4</sup> 230.96 हेक्टेयर (570.48 एकड़) (699.89 हेक्टेयर (1,728.73 एकड़) का 33 प्रतिशत ) × 1,500 (न्यूनतम वृक्षों की संख्या) =3,46,440

क्र.सं.	नियम एवं शर्तें	लेखापरीक्षा अवलोकन
		परिणामतः 1,09,897 पौधों की कमी हुई। इसके अलावा, ऐश पॉन्ड क्षेत्र में गहन वृक्षारोपण नहीं किया गया था। संयुक्त भौतिक निरीक्षण (जनवरी 2019) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि 6,000 पौधों में से लगभग 250 से 300 पौधे ही बढ़ते हुए पौधे की तरह अच्छी दशा में थे तथा शेष पौधे या तो मर चुके थे या बमुश्किल जीवित थे।
17	परियोजना की स्थापना के साथ ही आवश्यकता आधारित मूल्यांकन के अनुरूप सीएसआर योजनाओं का ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के परामर्श से कार्यान्वयन किया जायेगा। सीएसआर के भाग के रूप में स्थानीय रोजगार योग्य युवाओं की पूर्व पहचान की जायेगी तथा संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद उन्हें परियोजना में रोजगार प्रदान किया जाएगा। कम्पनी सामुदायिक विकास गतिविधियों और आय सृजन कार्यक्रमों के लिए अलग से बजट प्रदान करेगी।	कम्पनी ने परियोजना में रोजगार प्रदान करने के लिए स्थानीय रोजगार योग्य युवाओं की पहचान प्रशिक्षण देने के लिए नहीं की है। इसके अलावा, जिला प्रशासन द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं करने की चर्चा कंडिका क. 2.11.2 में की गयी है।

(स्रोत: कम्पनी/सीईसीबी के अभिलेखों से संकलित आंकड़े)

## अनुलग्नक—3.1

वर्ष जिसके लिए लेखों को अंतिमीकृत किया गया के लिए इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम  
(संदर्भित कांडिका 3.1, 3.11 एवं 3.12)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं पीएसयू का नाम	लेखों की अवधि	अंतिमी-कृत लेखों का वर्ष	ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त अंशपूँजी	नियोजित पूँजी <sup>#</sup>	निवल मूल्य <sup>¥</sup>	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. एकाधिकार क्षेत्र में कार्यशील पीएसयूज</b>										
<b>अ. सरकारी कम्पनियाँ</b>										
1	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (सीआरबीईएनएल)	2017–18	2018–19	17.89	16.20	45.61	26.65	248.57	248.57	214.55
2	छत्तीसगढ़ राज्य बैवरेजेस निगम लिमिटेड (सीएसबीसीएल)	2017–18	2018–19	7.66	4.74	863.06	0.15	69.82	69.82	69.67
<b>योग (I)</b>				<b>25.55</b>	<b>20.94</b>	<b>908.67</b>	<b>26.80</b>	<b>318.39</b>	<b>318.39</b>	<b>284.22</b>
<b>II. सेन्ट्रेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/सब्सिडी से निश्चित आय प्राप्त करने वाले पीएसयूज</b>										
<b>अ. सरकारी कम्पनियाँ</b>										
3	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (सीएससीएससीएल)	2016–17	2018–19	2.80	1.96	6,895.69	4.43	−205.21	−205.21	−210.59
4	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (सीआरबीईकेबीएनएल)	2016–17	2018–19	41.01	25.91	622.77	0.50	194.59	175.19	174.31
5	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम (सीएनजेबीईसीएन)	2016–17	2018–19	2.15	1.09	2.63	5.00	66.04	17.87	12.87
6	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड (सीएमएससीएल)	2016–17	2018–19	5.96	3.98	133.44	3.45	17.99	17.99	14.54
7	छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड (सीपीएचसीएल)	2017–18	2018–19	6.20	4.05	8.17	2.00	211.73	40.49	38.49
8	छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लिमिटेड (सीआरडीसीएल)	2017–18	2018–19	−0.10	−0.10	38.80	4.90	4.40	4.40	−0.50
9	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (आरएससीएल)	2016–17	2018–19	−0.02	−0.02	2.98	0.10	0.08	0.08	−0.02
10	अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड (एएनएससीसीएल)	2017–18	2018–19	−0.31	−0.31	−	0.10	−0.21	−0.21	−0.31
<b>योग (II–अ)</b>				<b>57.69</b>	<b>36.56</b>	<b>7,704.48</b>	<b>20.48</b>	<b>289.41</b>	<b>50.60</b>	<b>28.79</b>

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं पीएसयू का नाम	लेखों की अवधि	अंतिमी—कृत लेखों का वर्ष	ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त अंशपूँजी	नियोजित पूँजी <sup>#</sup>	निवल मूल्य <sup>¥</sup>	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ब. सांविधिक निगम</b>										
11	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (सीएसडब्ल्यूसी)	2017–18	2018–19	54.19	33.88	136.01	4.04	370.63	211.06	207.02
	योग (II–ब)			54.19	33.88	136.01	4.04	370.63	211.06	207.02
	योग (II)			111.88	70.44	7,840.49	24.52	660.04	261.66	235.81
<b>III. प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में कार्यशील पीएसयूज</b>										
<b>अ. सरकारी कम्पनियाँ</b>										
12	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (सीएमडीसीएल)	2017–18	2018–19	2.83	2.24	28.51	1.00	195.48	16.16	15.02
13	केरवा कोल लिमिटेड (कसीएल)	2017–18	2018–19	0.32	0.23	0.46	4.90	12.70	5.22	0.32
	योग (III)			3.15	2.47	28.97	5.90	208.18	21.38	15.34
	महायोग (I+II+III)			140.58	93.85	8,778.13	57.22	1,186.61	601.43	535.37

# नियोजित पूँजी =प्रदत्त अंशपूँजी + मुक्त संचय और अधिशेष + दीर्घावधि ऋण – संचित हानियाँ – रथगित राजस्व व्यय।

¥ निवल मूल्य =प्रदत्त अंशपूँजी + मुक्त संचय और अधिशेष – संचित हानियाँ – रथगित राजस्व व्यय।

## अनुलग्नक—3.2

उन राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विवरण जिन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया  
(संदर्भित कंडिका 3.1 एवं 3.9)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं पीएसयू का नाम	लेखों की अवधि	अंतिमीकृत लेखों का वर्ष	ब्याज, कर एवं लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त अंशपूँजी
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. कार्यरत पीएसयूज जिसके तीन या अधिक वर्ष के लेखें बकाया/प्रथम लेखा जो प्राप्त नहीं हुए/बकाया नहीं थे अथवा व्यवसाय का संचालन प्रारंभ नहीं किया हो</b>						
<b>अ. सरकारी कम्पनियाँ</b>						
1	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी)	2013–14	2018–19	−0.82	122.46	1.60
2	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (सीआईडीसी)	2014–15	2018–19	—	0.59	4.20
3	बिलासपुर स्टार्ट सिटी लिमिटेड (बीएससीएल)	प्रारंभ (2016–17) से लेखों को जमा नहीं किया	—	—	—	—
4	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड (सीआरसीएल) <sup>1</sup>	2017–18	2018–19	−4.18	1.10	50.00
5	छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉरमेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम (सीएसआईआईसी)	प्रथम लेखा (2017–18) जमा नहीं किया	—	—	—	—
<b>योग—I</b>				<b>−5.00</b>	<b>124.15</b>	<b>55.80</b>
<b>II. गैर कार्यरत पीएसयूज</b>						
<b>अ. सरकारी कम्पनियाँ</b>						
6	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड (सीआईसीएल)	2016–17	2018–19	—	—	82.60
7	छत्तीसगढ़ सोन्धिया कोल कम्पनी लिमिटेड (सीएससीसीएल)	2017–18	2018–19	−0.01	—	21.94
8	सीएसपीजीसीएल ईएल पारसा कोलियरीज लिमिटेड (सीएपीसीएल)	2017–18	2018–19	—	—	0.16
<b>योग-II</b>				<b>−0.01</b>	<b>—</b>	<b>104.70</b>
<b>महायोग (I+II+III)</b>				<b>−5.01</b>	<b>124.15</b>	<b>160.50</b>

<sup>1</sup> पीएसयू की योजनाएँ जो निर्माणाधीन हैं और इस प्रकार इन पीएसयू के वास्तविक व्यवसाय का संचालन प्रारंभ नहीं किया गया है।

अनुलग्नक—3.3

31 मार्च 2018 को राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित पूँजी एवं बकाया ऋण की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक  
(संदर्भित कंडिका 3.3)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2017–18 की समाप्ति पर पूँजी <sup>§</sup>				वर्ष 2017–18 की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण			
				छत्तीसगढ़ शासन	केन्द्र सरकार	अन्य <sup>#</sup>	योग	छत्तीसगढ़ शासन	केन्द्र सरकार	अन्य <sup>#</sup>	योग
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
<b>I. एकाधिकार क्षेत्र में कार्यशील पीएसयूज</b>											
<b>अ. सरकारी कम्पनियाँ</b>											
1	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन	22.05.2001	25.73	0.92	—	26.65	—	—	—	—
2	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड	वणिज्यिक कर	29.11.2001	0.15	—	—	0.15	—	—	—	—
<b>योग (I)</b>				<b>25.88</b>	<b>0.92</b>	<b>—</b>	<b>26.80</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>II. सेन्ट्रेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/सब्सिडी से निश्चित आय प्राप्त करने वाले पीएसयूज</b>											
<b>अ. सरकारी कम्पनियाँ</b>											
3	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	13.03.2001	4.43	—	—	4.43	—	—	—	—
4	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	कृषि	08.10.2004	0.50	—	—	0.50	—	—	—	—
5	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	सामाजिक कल्याण	04.07.2004	5.00	—	—	5.00	—	—	52.08	52.08
6	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	स्वास्थ्य	07.10.2010	3.45	—	—	3.45	—	—	—	—
7	छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड	गृह	14.12.2011	2.00	—	—	2.00	—	—	171.24	171.24
8	छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लिमिटेड	पीडब्ल्यूटी/शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग	11.11.2014	4.90	—	—	4.90	—	—	—	—
9	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग	16.09.2016	—	—	0.10	0.10	—	—	—	—

क्र. सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2017–18 की समाप्ति पर पूँजी\$				वर्ष 2017–18 की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण			
				छत्तीसगढ़ शासन	केन्द्र सरकार	अन्य #	योग	छत्तीसगढ़ शासन	केन्द्र सरकार	अन्य #	योग
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
10	अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग	16.10.2017	—	—	0.10	0.10	—	—	—	—
योग (II-अ)				20.28	—	0.20	20.48	—	—	223.32	223.32
<b>ब. सांविधिक निगम</b>											
11	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	02.05.2002	2.02	—	2.02	4.04	159.57	—	—	159.57
योग (II-ब)				2.02	—	2.02	4.04	159.57	—	—	159.57
योग (II)				22.30	—	2.22	24.52	159.57	—	223.32	382.89
<b>III. प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में कार्यशील पीएसयूज</b>											
<b>अ. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ</b>											
12	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	07.06.2001	1.00	—	—	1.00	179.32@	—	—	179.32
13	केरवा कोल लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	20.01.2015	—	—	4.90	4.90	—	—	7.48	7.48
योग (III)				1.00	—	4.90	5.90	179.32	—	7.48	186.80
महायोग (I+II+III)				49.18	0.92	7.12	57.22	338.89	—	230.80	569.69

\$ पूँजी में अंश आवेदन की बकाया आबंटन राशि सम्मिलित है।

# अन्य में वित्तीय संस्थानों, बैंकों एवं होलिडंग कम्पनी तथा पीएसयूज इत्यादि का निवेश सम्मिलित है।

@ छत्तीसगढ़ शासन के खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि से ऋण की राशि प्राप्त की गयी है अतः इसे छत्तीसगढ़ शासन के निवेश की तरह माना गया है।

अनुलग्नक-3.4

छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखें एवं राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखें में पूँजी, ऋण एवं गारंटी के शेषों के संबंध में अंतर को दर्शाने वाला  
विवरण पत्रक  
(संदर्भित कडिका 3.7)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	राज्य पीएसयूज के दस्तावेजों के अनुसार			छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखें के अनुसार			अंतर		
		प्रदत्त अंशपूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त अंश पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त अंश पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी
<b>विद्युत कम्पनी के अतिरिक्त पीएसयूज</b>										
1	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	25.73	—	—	6.55	—	—	19.18	—	—
2	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड	25.50	—	—	4.00	—	—	21.50	—	—
3	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	1.60	—	—	11.10	—	—	9.50	—	—
4	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	5.00	—	32.50	5.00	—	35.31	—	—	2.81
5	छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉरमेशन इन्फारेक्चर निगम	0.05	—	—	—	—	—	0.05	—	—
6	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	2.02	159.57	—	0.50	159.57	—	1.52	—	—
7	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	1.00	179.32	—	1.00	—	—	—	179.32	—

## अनुलग्नक-3.5

कार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनके लेखें वर्ष 2017–18 के दौरान बकाया हैं, में राज्य सरकार के निवेश की स्थिति को दर्शाने वाला

## विवरण पत्रक

(संदर्भित कांडिका 3.8.1)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयूज का नाम	अवधि तक के लेखें अंतिमीकृत किये गये	अवधि जिसके लिए लेखें बकाया हैं	अद्यतन अंतिमीकृत लेखें के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया जिस अवधि के दौरान लेखें बकाया हैं								
					पूँजी	ऋण	अनुदान <sup>\$</sup>	सब्सिडी	योग				
<b>अ. कार्यरत पीएसयूज</b>													
<b>I. दो वर्ष तक के बकाया</b>													
1	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2016–17	2017–18	4.43	—	—	—	2,241.92	2,241.92				
2	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	2016–17	2017–18	0.50	—	—	—	44.72	44.72				
3	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	2016–17	2017–18	5.00	—	—	0.40	0.14	0.54				
4	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	2016–17	2017–18	3.45	—	—	—	—	—				
5	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2016–17	2017–18	0.10	—	—	—	—	—				
<b>योग I</b>					—	—	0.40	<b>2,286.78</b>	<b>2,287.18</b>				
<b>II. तीन या अधिक वर्ष के लिए लेखें बकाया/प्रथम लेखा जो प्राप्त नहीं हुए</b>													
1	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013–14	2014–15 से 2017–18	1.60	—	—	292.03	8.07	300.10				
2	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2014–15	2015–16 से 2017–18	4.20	—	—	10.00	—	10.00				
3	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	प्रारंभ (2016–17) से लेखें जमा नहीं किया	2016–17 से 2017–18	—	—	—	—	—	—				
4	छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉरमेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम	प्रथम लेखा (2017–18) जमा नहीं किया	2017–18	—	—	—	—	—	—				
<b>योग II</b>					—	—	302.03	8.07	310.10				

क्र. सं.	पीएसयूज का नाम	अवधि तक के लेखें अंतिमीकृत किये गये	अवधि जिसके लिए लेखें बकाया हैं	अद्यतन अंतिमीकृत लेखें के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया जिस अवधि के दौरान लेखें बकाया हैं				
					पूँजी	ऋण	अनुदान <sup>\$</sup>	सब्सिडी	योग
			योग (अ)		—	—	302.43	2,294.85	2,597.28
ब. गैर-कार्यरत पीएसयूज									
1	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड	2016–17	2017–18	82.60	—	—	—	—	—
		योग (ब)			—	—	—	—	—
		योग (अ+ब)			—	—	302.43	2,294.85	2,597.28

\$ पूँजी के साथ-साथ राजस्व (स्थापना) अनुदान के आंकड़े सम्मिलित हैं।

## अनुलग्नक—3.6

वर्ष 2008–09 से 2017–18 के दौरान राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश की गई राज्य सरकार निधियों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक  
(संदर्भित कांडिका 3.14)

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	अ. एकाधिकार क्षेत्र में कार्यशील पीएसयूज								ब. सेन्टेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/सब्सिडी से निश्चित आय प्राप्त करने वाले पीएसयूज							
स. क्र.	1				2				3				4			
इकाई	सीआरबीईएनएल				सीएसबीसीएल				सीएससीएससीएल				सीआरबीईकेबीएनएल			
वर्ष	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिस पर ब्याज का भुगतान में विफल थे	पूँजीगत अनुदान	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिस पर ब्याज का भुगतान में विफल थे	पूँजीगत अनुदान	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिस पर ब्याज का भुगतान में विफल थे	पूँजीगत अनुदान	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिस पर ब्याज का भुगतान में विफल थे	पूँजीगत अनुदान
2007–08 तक	5.62	20.11	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.90	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2008–09	20.11	–20.11 <sup>¥</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009–10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010–11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011–12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012–13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013–14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014–15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015–16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016–17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017–18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	25.73	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	4.43	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

¥ वर्ष 2008–09 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड में ₹ 20.11 करोड़ की ब्याज मुक्त ऋण की बजटीय सहायता को पूँजी के रूप में परिवर्तित किया गया, अतः

₹ 20.11 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण से कम किया गया है और वर्ष 2008–09 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त पूँजी में सम्मिलित किया गया है।

क्षेत्र	ब. सेन्टेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/सब्सिडी से निश्चित आय प्राप्त करने वाले पीएसयूज															
स. क्र.	5				6				7				8			
इकाई	सीएनजेक्वीएक्वीएन				सीएमएससीएल				सीपीएचसीएल				सीआरडीसीएल			
वर्ष	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिस पर ब्याज का भुगतान में विफल थे	पूँजीगत अनुदान	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिस पर ब्याज का भुगतान में विफल थे	पूँजीगत अनुदान	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिस पर ब्याज का भुगतान में विफल थे	पूँजीगत अनुदान	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिस पर ब्याज का भुगतान में विफल थे	पूँजीगत अनुदान
2007–08 तक	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2008–09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2009–10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010–11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011–12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012–13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013–14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2014–15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	
2015–16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2016–17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2017–18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
योग	5.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00	3.91	2.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	

क्षेत्र	ब. सेन्टेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/सब्सिडी से निश्चित आय प्राप्त करने वाले पीएसयूज				स. प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में कार्यशील पीएसयूज			
स. क्र.	9				10			
इकाई	सीएसडब्ल्यूसी				सीएमडीसी			
वर्ष	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिस पर ब्याज का भुगतान में विफल थे	पूँजीगत अनुदान	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिस पर ब्याज का भुगतान में विफल थे	पूँजीगत अनुदान
2007–08 तक	2.02	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2008–09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009–10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010–11	0.00	0.00	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011–12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012–13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013–14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014–15	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2015–16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.05	0.00	0.00
2016–17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	0.00	0.00
2017–18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16	0.00	0.00
योग	2.02	0.00	0.00	9.37	1.00	115.32	0.00	0.00